राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

दिनाँक: 06.09.2019 **समय: 11:00 प्रातः**

विषय: अनारक्षित पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का चयन नहीं करके आयोग (UPPCL) द्वारा असंवैधानिक निर्णय लेने के संबंध में।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:

सुनवाई के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी

माननीय सदस्य, डॉ सुधा यादव

माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल

~~माननीय~~ उप सचिव, श्री बी के पति

अनुसंधान अधिकारी, राजुल रायकवार

अनुसंधान अन्वेषक, पारुल भारद्वाज

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

माननीय सचिव,

शिकायतकर्ता

श्री हितेश

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल : क्या भारत के संविधान में आपका विश्वास है या नहीं ? आयोग द्वारा पूर्व में 26.07.2019 को भेजे गए पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया गया?

सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग : विभाग में साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी होने के कारण पत्र का उत्तर देने में विलंव हुआ|

माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल : इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि आपके आयोग द्वारा इस प्रकार की गलती की गई. कही आपके द्वारा आयोग को गुमराह करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है

सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग : यह कार्यालयीन स्तर की गलती है एवं सम्बंधित जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है|

माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल : उच्चतर सेवा आयोग द्वारा संविधान के समस्त नियमो का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?

सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग : उच्चतर सेवा आयोग , निर्देशालय द्वारा जारी किये गए सभी नियमो का पालन कर रहा है उच्चतर सेवा आयोग को निर्देशालय से रिक्तियों की संख्या एवं वर्गवार रिक्तियों की संख्या प्राप्त होती है जिसके अनुसार ही आयोग कार्य करता है साथ ही यू जी सी के नियमो को ध्यान मे रख कर 3 से 5 गुना आवेदको को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है

माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल : यह माना जा सकता है कि विज्ञापन निर्देशालय द्वारा किया जाता है पर कटऑफ कौन निर्धारित करता है? आरक्षित वर्ग का कटऑफ अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से क्यों व कैसे अधिक है आपको ध्यान रखना चाहिए की आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारो का हनन न हो|

सचिव, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग : कटऑफ लिखित परीक्षा के आधार पर निर्धारित किया जाता है

शिकायतकर्ता: पर ऐसा कैसे संभव है कि अनारक्षित वर्ग कि कटऑफ आरक्षित वर्ग के कटऑफ से अधिक है?

माननीय सदस्य, डॉ सुधा यादव : हम सिर्फ इतना कह रहे है कि आरक्षित वर्ग का कटऑफ अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से अधिक नहीं होना चाहिए | साथ ही आपको रिक्तियों व कटऑफ दोनों को अलग-अलग समझना होगा तभी कोई हल निकाला जा सकता है |

शिकायतकर्ता: माननीय आयोग से मेरा अनुरोध है कि जब तक कोर्ट से कोई समाधान नहीं निकलता तब तक के लिए साक्षात्कार कि प्रक्रिया को रोक दिया जाना चाहिए|

माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल : प्रश्न यह है कि वह आवेदक जिसके अनारक्षित वर्ग से अधिक नंबर है वह साक्षात्कार क्यू नहीं दे पा रहा है | जो कटऑफ सामान्य वर्ग का है वो अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए |

माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी : अन्य पिछड़ा वर्ग को सामान्य वर्ग की मेरिट मे जाने से क्यू रोका जा रहा है |

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निम्न लिखित अनुसंशा की गई ;

1. साक्षात्कार प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगवाई जाए एवं अग्रिम कार्यवाही के लिए दिनाँक 11.09.2019 की तिथि निर्धारित की जाए
2. लिखित परीक्षा परिणाम की सूची को संसोधित किया जाए एवं साक्षात्कार हेतु मेरिट सूची का निर्माण कर वंचित अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाए
3. जिन विषयो के अंतिम परिणाम जारी किये जा चुके है उन्हें भी नियमानुसार संसोधन कर पुनः साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल किया जाए